

--: परिपत्र :-

शासन द्वारा दिनांक 01-03-2013 से राज्य की सीमाओं पर स्थित वाणिज्य कर विभाग की जांच चौकियाँ समाप्त कर नयी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य की सीमाओं से माल सहित प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन चालक/आयातक को वाहन में लदे माल की घोषणा विभागीय बैबसाईट <http://comtax.uk.gov.in> के माध्यम से Trip sheet एवं Transit Pass के रूप में करना अनिवार्य है, तद्दोपरान्त वाहन में लदे माल की Trip sheet एवं Transit Pass की दो प्रतियाँ, फार्म-16/17, माल से सम्बन्धित बिल, विल्टी एवं अन्य प्रपत्र रखना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में दिनांक 10-02-2013 से राज्य में माल का आयात करने के उद्देश्य से माल का परिवहन करने वाले वाहनों के सम्बन्ध में वाहन में लदे माल की Trip sheet के माध्यम से विभागीय बैबसाईट पर ऑनलाईन घोषणा करने की स्वैच्छिक व्यवस्था का विकल्प प्रदान किया जा रहा है। ऑनलाईन Trip sheet जारी करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 4729/आयु0कर0 उत्तरा0/वा0क0/आई0टी-अनु0/2012-13/दे0दून/दिनांक 08-02-2013 द्वारा निर्धारित की गयी है।

दिनांक 10-02-2013 से ऑनलाईन Trip sheet की विभागीय बैबसाईट के माध्यम से घोषणा कर स्वैच्छिक विकल्प अपनाने वाले परिवहनकर्ताओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की जा रही है:-

1- आयातक/वाहन प्रभारी, विभागीय बैबसाईट से ऑनलाईन Trip sheet को जनरेट कर जनरेटेड Trip sheet की दो प्रतियाँ, फार्म-16/17, बिल, बिल्टी एवं माल से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज के साथ राज्य की सीमा पर स्थित जाँच चौकी पर प्रस्तुत करेंगे।

2- राज्य की सीमाओं पर स्थित बड़ी जाँच चौकियों में कार्याधिकता के कारण, जाँच चौकी नारसन, आशारोड़ी, चिड़ियापुर, रुद्रपुर, सुतईया, शाहगंज एवं कुल्हाल में उक्त स्वैच्छिक वैकल्पिक व्यवस्था अपनाने वाले वाहनों को अविलम्ब पास कराने हेतु अलग से विन्डो स्थापित की जा रही है, शेष जाँच चौकियाँ, जहाँ अपेक्षाकृत कार्य कम है इन जाँच चौकियों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी ही प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाईन ट्रिपशीट (Trip sheet) के माध्यम से माल की घोषणा करने वाले वाहनों को अविलम्ब पास करना सुनिश्चित करेंगे।

3- ऑन लाईन ट्रिपशीट (Trip sheet) प्रस्तुत करने वाले आयातक/वाहन चालको द्वारा वाहन में लदे माल सम्बन्धी प्रपत्रों/अभिलेखों की प्रविष्टि जाँच चौकियों में एक अलग रजिस्टर पर दर्ज कर दी जायेगी, इस रजिस्टर में Trip sheet नम्बर, वाहन संख्या, फार्म-16/17 की संख्या की प्रविष्टि कर वाहन को अविलम्ब पास कर दिया जायेगा। ऑन लाईन Trip sheet प्रस्तुत करने वाले वाहनो की प्रविष्टि पंजी-1 एवं पंजी-2 में करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इन वाहनों के सम्बन्ध में प्रस्तुत फार्म-16 एवं 17 में विभागीय बी0बी0सीरीज टिकट नहीं लगाया जायेगा। अतः ऑन लाईन ट्रिपशीट के माध्यम से माल की घोषणा करने वाले वाहनों को विना व्यवधान के अविलम्ब पास किया जाय।

यह व्यवस्था दिनांक 10-02-2013 से 28-02-2013 तक प्रभावी रहेगी।

(सौजन्या)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

पृ०प०सं० 4730/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- सलाहकार :कर' उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन रुद्रपुर।
- 6- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त प्रपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने क्षेत्र में स्थित अधिकारियों/बार एसोसियेशन/उद्योग एवं व्यापारी संगठनों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 7- ज्वाइंट कमिश्नर (वि०अनु०शा०/प्र०)वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त प्रपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 8- ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 9- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 10- श्री रोशन लाल वैब ऑफिसर (डिप्टी कमिश्नर क०नि०-3)को वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।
- 11- डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्याय०कार्य०) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 12- मुख्यालय के संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन करके उद्योग,व्यापार एवं बार के प्रतिधियों को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 13- मुख्यालय के समस्त अनुभागों को।
- 14- इन्टावेट ईन्फो प्रा०लि०४, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13, आर० सिंधुआ मार्ग, मुम्बई-400001।
- 15- नेशनल लॉ हाउस बी- 2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 16- नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेंट हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
- 17- स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई-233,शास्त्री नगर, गाजियाबाद,-201002।
- 18- अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 19- दी होलसेल डीलर्स एसो० 14, आढ़त बाजार देहरादून।
- 20- प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो० 222/5 गौधी ग्राम, देहरादून।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।